

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम०/०६/२०२२

दीपेन्द्र कुमार गुप्ता वगैरह

बनाम

कन्हैयालाल साहू वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
------	-----------------------------------	------------------------

02-08-2022




प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या-24/22 दिनांक 28/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमीन एवं घरेलू विवाद का कारण है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 18-08-2022 को उपस्थापित करें।

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
बुण्डू।

आदेश की संख्या / तिथि Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश पर कार्रवाई की गई Action taken order with date
<u>27-01-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष दिनांक 03.02-2023 को गवाही रखें।  कार्य नं० ६०३/० बुलंद।	
<u>03-02-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 17-02-2023 को रखें।  कार्य नं० ६०३/० बुलंद।	
<u>17-02-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रम सं०-०१ उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। इस वाद में वैधानिक समय सीमा पर 06 माह की अवधि पूर्ण हो चुका है। अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः इस वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये अभिलेख की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।  कार्य नं० ६०३/० बुलंद।	